क.

टाटा हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड v.

आलोक जग्गा और अन्य

(2019 की सिविल अपील संख्या 8398-8399) 05 नवंबर, 2019

[अरुण मिश्रा**,** एम**.** आर**.** शाह और बी**.** आर**.** गवई**,** जे**.** जे**.]**

पर्यावरण कानूनः

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986-पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1996-आवास परियोजना-पर्यावरण मंजूरी-सुखना झील के जलग्रहण क्षेत्र के भीतर और सुखना वन्यजीव अभयारण्य से 123 मीटर की छोटी दूरी पर आने वाली आवास परियोजना-आयोजित करने के लिए चुनौतीःउत्तर की ओर से 123 मीटर और वन्यजीव अभयारण्य से परियोजना के पूर्वी हिस्से से 183 मीटर की दूरी को ध्यान में रखते हुए, इस तरह की परियोजना को क्षेत्र में आने की अनुमति नहीं दी जा सकती है-परियोजना की शुरुआत से संकेत मिलता है कि पंजाब राज्य सार्वजनिक न्यास के सिद्धांत को आगे बढ़ाने में विफल रहा क्योंकि 95 विधायकों को फ़्लैट प्राप्त करने थे-सरकार ने उस क्षेत्र में 92 मीटर तक ऊंची इमारतों की स्थापना की अनुमति दी जो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं थी-मोरेसो, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की ओर सुखना वन्यजीव अभयारण्य के संबंध में जारी अधिसूचना को देखते हुए कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 0.5 किलोमीटर के भीतर या पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र की सीमा तक किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ग

डी.

ई.

च

जी.

पर्यावरणःपर्यावरण क्षरण और वन्यजीव क्षरण-पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण की आवश्यकता, वन और वन्यजीवों की सुरक्षा-विकास और शहरीकरण हमारे प्राकृतिक परिवेश को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है-भारत का संविधान-कला।48(ए), 51 (ए)।

एच.

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः**1.1** सुखना वन्यजीव अभयारण्य से **100** मीटर के भीतर बफर ज़ोन रखने के लिए पंजाब सरकार द्वारा पर्यावरण मंत्रालय को भेजे गए प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया था और कम से कम **1** किलोमीटर के बफर ज़ोन के प्रस्ताव को फिर से प्रस्तुत करने का निर्देश जारी किया गया था।पंजाब राज्य पर यह दायित्व था कि वह आवश्यकतानुसार एम**.** ओ**.** ई**.** एफ**.** को एक प्रस्ताव भेजे**,** लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उसने एम**.** एल**.** ए**.** से संबंधित बहुमूल्य परियोजना शामिल होने के कारण ऐसा करने का विकल्प नहीं चुना है**,** और एम**.** ओ**.** ई**.** एफ**.** ने बफर ज़ोन को **100** मीटर तक रखने के उसके प्रस्ताव

को स्वीकार नहीं किया है।प्रतिवादी पक्ष की ओर से यह भी बताया गया है कि नया गाँव पंजाब राज्य में ग्रेटर मोहाली क्षेत्र का हिस्सा है।वैधानिक, ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण, पैराग्राफ **14.3** में ग्रेटर मोहाली क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना।**1,** यह उल्लेख किया गया है कि मौजूदा वन यानी सुखना वन्यजीव अभयारण्य से **5** किलोमीटर की बफर दूरी के भीतर कोई विकास संभव नहीं है।इस प्रकार, शिवालिक के अलावा ग्रेटर मोहाली क्षेत्र में वनों के कई क्षेत्र फैले हुए हैं।इन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए और अनुशंसित बफर ज़ोन को शहरी विकास से संरक्षित किया जाना चाहिए।यह भी स्पष्ट है कि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा **2-2.75** कि**.** मी**.** क्षेत्र को पर्यावरण**-**संवेदनशील क्षेत्र के रूप में आदेश दिया गया है और सुखना वन्यजीव अभयारण्य के चंडीगढ़ की ओर आस**-**पास के क्षेत्र के बारे में अधिसूचना दिनांक **18.1.2017** जारी की गई है।**[**पैरा **21,23,24] [591-**एफ**-**जी**; 593-**डी**-**एफ**]**

ग

डी.

ई.

1.4 पृथ्वी और समग्र रूप से मानव सभ्यता के सामने सबसे शक्तिशाली खतरा जिसका आज सामना करना पड़ रहा है**,** वह है पर्यावरणीय क्षरण और वन्यजीव क्षरण।वनस्पतियों और जीवों की रक्षा करने की आवश्यकता है जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का एक बड़ा हिस्सा हैं।हमारे प्राकृतिक परिवेश को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की कीमत पर आने वाला विकास और शहरीकरण बदले में प्रभाव डालेगा और मानव तबाही का कारण बनेगा जैसा कि **2013** में उत्तराखंड में और **2018** में केरल में बाढ़ में देखा गया था।जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक घटनाओं के समय को बाधित करके वन्यजीवों को प्रभावित कर रहा है।गर्म तापमान के साथ**,** फूल वाले पौधे वर्ष की शुरुआत में खिल रहे हैं और प्रवासी पक्षी वसंत ऋतु की शुरुआत में अपने सर्दियों के मैदान से लौट रहे हैं।भारत में वन्यजीव संरक्षण का एक लंबा इतिहास है**,** जो औपनिवेशिक ए**.**

च

जी.

एच.

579

टाटा हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड v.आलोक जग्गा और अन्य ए

वह अवधि जब यह केवल लक्षित प्रजातियों के लिए बहुत प्रतिबंधात्मक था और वह भी एक परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र में।फिर**,** राष्ट्रीय स्तर पर वन्यजीव बोर्ड के गठन और **1972** में वन्यजीव अधिनियम के अधिनियमन ने स्वतंत्रता के बाद के भारत में वर्तमान "वन्यजीव संरक्षण" युग की नींव रखी।**1970** के दशक में प्रोजेक्ट टाइगर और **1992** में प्रोजेक्ट एलिफेंट**-**दोनों प्रमुख प्रजातियों के साथ**-**ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया।भारत तब आवास**,** प्रजातियों और पर्यावरण से संबंधित सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संधियों का भी सदस्य बन गया जैसे कि रामसर कन्वेंशन**, 1971;** कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एन्डेन्जर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फॉना एंड फ्लोरा**, 1973;** कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज**, 1979;** कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी**, 1992**।**[**पैरा **25] [593-**जी**-**एच**; 594-**ए**-**सी**]**

ग

1.5 मनुष्य के साथ**-**साथ वन्यजीव भी अपने अस्तित्व के लिए पूरी तरह से पर्यावरण पर निर्भर हैं।मनुष्य पूरी तरह से पर्यावरण पर निर्भर है।मनुष्य की तरह**,** वन्य जीवन भी अपने अस्तित्व के लिए पर्यावरण पर निर्भर है और पर्यावरण से भी प्रभावित होता है।मनुष्य और पशु के बीच के संबंध को खाद्य**-**श्रृंखला और खाद्य**-**जाल से समझा जा सकता है।वन्यजीव कई कारणों से प्रभावित होते हैं जैसे कि जनसंख्या**,** वनों की कटाई**,** शहरीकरण**,** बड़ी संख्या में उद्योग**,** रासायनिक अपशिष्ट**,** अनियोजित भूमि उपयोग नीतियाँ और प्राकृतिक संसाधनों का लापरवाह उपयोग आदि। **[**पैरा **26] [594-**डी**-**ई**] 1.6** राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में यह प्रावधान है कि पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार**,** वन और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए

सरकार को विधिवत आदेश दिया गया है।उन सिद्धांतों को विभिन्न अधिनियमों जैसे वन्यजीव **(**संरक्षण**)** अधिनियम**,** ई**.** पी**.** अधिनियम आदि में वैधानिक अभिव्यक्ति मिली है**,** जिन्हें इस न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में लागू किया गया है।संवैधानिक और वैधानिक कर्तव्यों के प्रति राज्य की निष्क्रियता की अनुमति नहीं दी जा सकती है।न्यायालय को जनादेश को पूरा करने के लिए उचित निर्देश जारी करने होते हैं।अनुच्छेद **51 (**ए**)** पर्यावरण**,** वन्यजीव आदि की रक्षा और संरक्षण के लिए मौलिक कर्तव्य प्रदान करता है। **[**पैरा **27] [594-**एफ**.** जी**.]<unk><unk> 1.7<unk><unk>** मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में**,** वन्यजीवों से संबंधित परियोजना के उत्तरी भाग से **123** मीटर और पूर्वी भाग से **183** मीटर की दूरी पर विचार करते हुए।

डी.

ई.

च

जी.

एच.

580 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 13 एस. सी. आर.

अभयारण्य**,** विचाराधीन क्षेत्र में ऐसी किसी भी परियोजना को आने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।पंजाब राज्य को सार्वजनिक न्यास के सिद्धांत के आधार पर कार्य करने की आवश्यकता थी।यह ऐसा करने में विफल रहा है।परियोजना की शुरुआत से ही संकेत मिलता है कि पंजाब राज्य सार्वजनिक न्यास के सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए काम नहीं कर रहा था क्योंकि **95** विधायक फ़्लैटों के प्राप्तकर्ता होने वाले थे।यह स्पष्ट है कि सरकार वन्यजीवों के आसपास के पर्यावरण**-**संवेदनशील क्षेत्र की रक्षा क्यों नहीं कर पाई है और उसने विचाराधीन क्षेत्र में **92** मीटर तक की ऊंची इमारतों की स्थापना की अनुमति दी है**,** जिसकी बिल्कुल भी अनुमति नहीं है।**[**पैरा **36] [604-**सी**-**ई**]**

1.8 ऐसी परियोजनाओं को वन्यजीव अभयारण्य से इतनी कम दूरी के भीतर आने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।मोरेसो**,** चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के किनारे सुखना वन्यजीव अभयारण्य के संबंध में जारी अधिसूचना को देखते हुए और इस तथ्य पर भी विचार करते हुए कि पंजाब सरकार द्वारा बफर ज़ोन को **100** मीटर तक सीमित करने के प्रस्ताव को एमओईएफ द्वारा उचित रूप से स्वीकार नहीं किया गया है**,** क्योंकि पंजाब सरकार के साथ**-**साथ एमओईएफ भी इस मामले में अंतिम मध्यस्थ नहीं हो सकते हैं।न्यायालय को ऐसे परिदृश्य में अपना कर्तव्य निभाना होगा जब अधिकारी वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण**-**संवेदनशील क्षेत्र की रक्षा करने में विफल रहे हैं।परियोजना से संबंधित मंजूरी प्राप्त करने की पूरी कवायद को रद्द कर दिया जाता है।इस मामले में ऐसा परिदृश्य सामने आया है और इसमें पंजाब विधानसभा के बड़ी संख्या में विधायक शामिल हैं।इस पूरी कवायद से अधिकारियों सहित सरकार की ओर से मनमानेपन की गंध आती है।**[**पैरा **37] [604-**ई**-**जी**]**

ग

डी.

ई.

गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ **(2011) 15** एस**.** सी**.** सी**. 791;** पशु और पर्यावरण कानूनी रक्षा कोष बनाम।

च

भारत संघ (1997) 3 एससीसी 549:[1997] 2 एससीआर

728 ; एम**.** सी**.** मेहता बनाम कमल नाथ और अन्य **(1997)**

एससीसी 388:[1996] 10 पूरक।एससीआर 12; वेल्लोर सिटिजन्स '

कल्याण मंच बनाम भारत संघ **(1996) 5** एस**.** सी**.** सी**. 647:[1996] 5** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 241;** बौद्धिक मंच**,** तिरुपति

जी.

बनाम ए. पी. राज्य और अन्य (2006) 3 एस. सी. सी. 549:[2006] 2

एस**.** सी**.** आर**. 419;** एम**.** सी**.** मेहता बनाम कमल नाथ **(2000) 6** एससीसी

213 :[2000] 1 पूरक।एससीआर 389; एम. सी. मेहता (बड़खल)

और सूरजकुंड झील पदार्थ) बनाम भारत संघ और ए

एच.

581

टाटा हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड v.आलोक जग्गा और अन्य ए

अन्य (1997) 3 एस. सी. सी. 715:[1996] 7 पूरक।एससीआर 465;

इंडियन काउंसिल फॉर एनविरो-लीगल एक्शन बनाम यूनियन ऑफ

भारत और अन्य (1996) 5 एससीसी 281:[1996] 1 पूरक।एस. सी. आर. 507-संदर्भित।

निर्णीत विधि संदर्भ

(2011) 15 एस**.** सी**.** सी**. 791**

संदर्भित किया गया है

पैरा **22**

[1997] 2 एससीआर **728**

संदर्भित किया गया है

पैरा **29**

[1996] 10 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 12** पैरा **30 [1996] 5** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।एस**.** सी**.** आर**. 241** पैरा **31 [2006] 2** एस**.** सी**.** आर**. 419** पैरा **32 [2000] 1** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।एस**.** सी**.** आर**. 389** पैरा **33 [1996] 7** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।एस**.** सी**.** आर**. 465** पैरा **34 [1996] 1** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।एस**.** सी**.** आर**. 507** पैरा **35** में निर्दिष्ट है।

ग

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार:2019 की सिविल अपील संख्या 8398-8399।

डी.

डब्ल्यू. पी. में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश 12.04.2017 से। (ग) 2014 की सं. 2999 और 2924।

श्याम दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता, मनु नायर, नीलाभ श्रीश, सुश्री सुवर्णा कश्यप, एस. एस. श्रॉफ, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

ई.

ए. एन. एस. नाडकर्णी, ए. एस. जी., अशोक कुमार श्रीवास्तव, पी. एस. पटवालिया, पुनीत बाली, वरिष्ठ अधिवक्ता।, प्रणय रंजन, विजय प्रकाश, गुरमीत सिंह मक्कर, विजय प्रकाश, ध्रुव श्योराण, गौरवजीत सिंह पटवालिया, अशोक के. महाजन, सुश्री नताशा डालमिया, करण भरीहोक, राज कमल, सिद्धांत शर्मा, आदित्य सोनी, नवकिरण बोले, सुश्री मनमीत अरोड़ा, सुश्री निधि मोहन पराशर, सुश्री समपिका बिस्वाल, केशव, एस. श्रीराम, संग्राम एस. सरोन, सुश्री वंदना रानी, राहुल गुप्ता, शुभम भल्ला, ललित कुमार, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

च

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अरुण मिश्रा, जे।

जी.

1. अपीलार्थी ने आवास परियोजना के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 के फैसले और आदेश पर सवाल उठाया है, इस आधार पर कि विचाराधीन क्षेत्र सुखना झील के जलग्रहण क्षेत्र के भीतर आता है और सुखना वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 123 मीटर दूर है।भारत का सर्वेक्षण मानचित्र दिनांक 21.09.2004,

एच.

582

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 13 एस सी आर।

सुखना झील के क्षेत्र का सीमांकन पंजाब राज्य के लिए बाध्यकारी है।नगर पंचायत, नया गाँव द्वारा टाटा हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (टाटा एच. डी. सी. एल.) को दी गई दिनांकित अनुमति अमान्य है।परियोजना के विकास के लिए राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस. ई. आई. ए. ए.) द्वारा दी गई पर्यावरण मंजूरी दिनांक 17.09.2013 भी पर्यावरण और वन मंत्रालय (एम. ओ. ई. एफ.) की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुरूप नहीं है।यह भी आदेश दिया गया है कि यदि पंजाब राज्य अपीलार्थी के पक्ष में अनुमति देता है, यदि वह चाहता है, तो वह परियोजना श्रेणी 'ए' के लिए पर्यावरण मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को आवेदन कर सकता है।

ग

2. टाटा एच. डी. सी. एल. ने पंजाब राज्य के गाँव-कंसल, तहसील-खरार, ज़िला-मोहाली की राजस्व संपदा में "कैमलोट" नामक एक परियोजना विकसित करने का प्रस्ताव रखा।कुल परियोजना क्षेत्र 52.66 एकड़ है, जिसमें से 41.54 एकड़ को 4,63,144.54 वर्ग मीटर के समूह आवास निर्मित क्षेत्र के लिए विकसित किया जाना है।3645 ई. एस. एस. के लिए पार्किंग सुविधा प्रदान की जानी है। परियोजना क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या लगभग 9788 थी।इमारत की प्रस्तावित अधिकतम ऊंचाई 92.65 मीटर होनी थी। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के संदर्भ में पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता थी, जो केंद्र सरकार या एस. ई. आई. ए. ए. द्वारा पर्यावरण मंजूरी से पहले अनिवार्य है। इस अधिसूचना को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 ("ई. पी. अधिनियम") की धारा 3 (1) और 3 (2) (वी) के तहत जारी किया गया है, जिसे पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1996 ("ई. पी. नियम") के नियम 5 (3) (डी) के साथ पढ़ा जाता है।टाटा एच. डी. सी. एल. ने एस. ई. आई. ए. ए., पंजाब से पर्यावरण मंजूरी के लिए आवेदन किया।आवेदन को राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस. ई. ए. सी.) को भेज दिया गया था।दिनांक 1 की बैठक में, समिति ने प्रस्तावित परियोजना को "स्वर्ण श्रेणीकरण" प्रदान किया और उसमें निर्दिष्ट शर्तों के अधीन पर्यावरण मंजूरी देने के लिए परियोजना को एस. ई. आई. ए. ए. को भेजने की सिफारिश की।एमओईएफ ने 09-10.11.2010 पर आयोजित अपनी बैठक में पर्यावरण मंजूरी के लिए सिफारिश की।हालाँकि, एमओईएफ ने प्रस्तावित परियोजना के संबंध में उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ से 14.10.2010 दिनांकित पत्र के माध्यम से एक रिपोर्ट बुलाई थी।अधिकारियों की एक टीम ने परियोजना स्थल का निरीक्षण किया और रिपोर्ट में सुखना वन्यजीव अभयारण्य से आवास-सह-खुदरा परियोजना "कैमलोट" की दूरी उत्तरी तरफ 123 मीटर और पूर्वी तरफ 183 मीटर पाई गई है।इसके अलावा, रिपोर्ट में कहा गया है कि यह परियोजना भारत के सर्वेक्षण मानचित्र के अनुसार सुखना झील के जलग्रहण क्षेत्र में आती है।

डी.

ई.

च

जी.

3. 12.01.2011 पर, टाटा एच. डी. सी. एल. ने एम. ओ. ई. एफ. को एक पत्र संबोधित किया जिसमें कहा गया था कि ए

एच.

583

टाटा हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड v.आलोक जग्गा और अन्य [अरुण मिश्रा, जे।] ए.

कि परियोजना स्थल सुखना झील के जलग्रहण क्षेत्र में योगदान नहीं देता है क्योंकि भौतिक रूप से परियोजना क्षेत्र सुखना झील की ओर पानी के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा नहीं डालता है।

4. इस बीच, सी. डब्ल्यू. पी. No.20425/2010 ने शीर्षक दिया "आलोक जग्गा बनाम। भारत संघ और अन्य ने चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसमें परियोजना को पंजाब नई राजधानी (परिधीय) नियंत्रण अधिनियम, 1952 के साथ-साथ ई. पी. अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए चुनौती दी गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि यह परियोजना सुखना झील के जलग्रहण क्षेत्र के अलावा पर्यावरण के प्रति संवेदनशील और संरक्षित क्षेत्र में है।

5. एस. ई. आई. ए. ए. ने एम. ओ. ई. एफ. से स्पष्टीकरण मांगा कि क्या वह आवेदन पर विचार करने के लिए सक्षम है क्योंकि एम. ओ. ई. एफ. के उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार सुखना वन्यजीव अभयारण्य परियोजना स्थल से 123 मीटर की दूरी पर स्थित है। उच्च न्यायालय ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से टाटा एच. डी. सी. एल. को सक्षम अधिकारियों से आवश्यक मंजूरी/मंजूरी/अनुमति प्राप्त करने के लिए ई. पी. अधिनियम और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की आवश्यकताओं का पालन करने का निर्देश दिया।

ग

डी.

6. सरीन मेमोरियल लीगल फाउंडेशन ने एस. ई. आई. ए. ए., पंजाब दिनांक 06.09.2013 के फैसले को चुनौती देते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत 09.11.2013 पर इस अदालत में रिट याचिका (सिविल) No.994/2013 दायर की।

ई.

7. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 21.08.2013 आदेश पारित किया गया था जिसमें यह आदेश दिया गया था कि टाटा HDCL की परियोजना CWP No.18253/2009 में 14.03.2011 और 14.05.2012 पर पारित आदेशों से प्रभावित नहीं होगी।सरीन मेमोरियल लीगल फाउंडेशन ने भी इस अदालत में उक्त आदेश पर सवाल उठाया।इस न्यायालय ने 22.04.2014 के आदेश के माध्यम से सरीन लीगल मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा दायर डब्ल्यू. पी. (सी) No.994/13 और सिविल अपील No.4848 2014 का निपटारा किया।पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 26.03.2012 पर पारित आदेश को दरकिनार कर दिया गया था। रिट याचिका को बहाल कर दिया गया था; मामलों को निर्णय के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था।

च

जी.

8. नया गाँव के नगरपालिका क्षेत्र को नया गाँव के 'स्थानीय योजना क्षेत्र' के रूप में 18.10.2006 पर अधिसूचित किया गया था।'नगर पंचायत नया गाँव के लिए मौजूदा भूमि उपयोग योजना और मास्टर प्लान का मसौदा तैयार किया गया।नगर पंचायत नया गाँव ने

09.04.2012 पर टाटा एच. डी. सी. एल. को निर्माण की अनुमति दी।टाटा एच. डी. सी. एल. ने दावा किया कि परिधीय नियंत्रण अधिनियम की धारा 6 (2) के तहत दी गई अनुमति के कारण,

एच.

584

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 13 एस सी आर।

1952, और ई. पी. अधिनियम के तहत दी गई पर्यावरण मंजूरी, कि वे विचाराधीन परियोजना के निर्माण के साथ आगे बढ़ने के हकदार थे।हालाँकि, याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ चंडीगढ़ प्रशासन ने पंजाब राज्य द्वारा लिए गए रुख पर आपत्ति जताई।

9. केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ने यह रुख अपनाया है कि यह क्षेत्र सुखना झील के जलग्रहण क्षेत्र में आता है क्योंकि भारतीय सर्वेक्षण मानचित्र के अनुसार कोई निर्माण नहीं किया जा सकता है। यह वन्यजीव अभयारण्य से सटा हुआ था और इसकी दूरी 123 मीटर थी।परिधीय नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन किया गया था, और एम. ओ. ई. एफ. की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के संदर्भ में भी मंजूरी नहीं दी गई थी।

10. यह बताया गया है कि इस न्यायालय द्वारा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्र को पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट करने के लिए पारित आदेश के तहत, पंजाब राज्य ने 100 मीटर से अधिक के निर्माण की अनुमति के लिए पर्यावरण मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा था जिसे पर्यावरण मंत्रालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि 2 किमी के सुखना वन्यजीव संतुरी झील क्षेत्र के दूसरी तरफ।2. 75 किमी तक।पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है।पर्यावरण मंत्रालय ने पंजाब राज्य से पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र को 1 किलोमीटर के भीतर रखने के लिए एक प्रस्ताव भेजने को कहा था।जिस पर पंजाब राज्य ने उन कारणों के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है जो उसे सबसे अच्छी तरह से पता है।11. यह भी मामला स्थापित किया गया है कि शुरू में, पंजाब विधानमंडल के विधायकों के आवासीय घरों के निर्माण के लिए 'पंजाब विधायक सोसायटी' के लिए आवास परियोजना प्रस्तावित की गई थी।इसके बाद उक्त भूमि मेसर्स हैश बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड को इस समझ के साथ बेच दी गई कि पंजाब एम. एल. ए. सोसायटी के प्रत्येक सदस्य को एक फ़्लैट आवंटित किया जाएगा।आई. डी. 1 की विवादित पर्यावरण मंजूरी को भी कानूनी दुर्भावनाओं का सामना करना पड़ा है, और यह सत्ता के रंग बिरंगे प्रयोग के बराबर है क्योंकि पंजाब राज्य के लगभग 95 विधायक प्रस्तावित परियोजना के लाभार्थी हैं।

ग

डी.

ई.

च

12. डब्ल्यू. पी. (सी) No.2999/2014 में, यह प्रस्तुत किया गया था कि बाहरी विचारों के लिए प्रस्तावित परियोजना अवैध है। प्रस्तावित परियोजना सुखना झील से लगभग 1500 मीटर और वन्यजीव अभयारण्य से 123 मीटर की दूरी पर स्थित है।यह परियोजना चंडीगढ़ की परिधि से शून्य किलोमीटर की दूरी पर है।यह परियोजना वन्यजीव अभयारण्य को नष्ट कर देगी और सुखना झील के लिए गंभीर खतरा पैदा करेगी।उच्च न्यायालय ने सी. डब्ल्यू. पी. में सुखना झील के जलग्रहण क्षेत्र में सभी निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया था।यह परियोजना चंडीगढ़ के भीतर पर्यावरण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी और कई गुना ध्वनि प्रदूषण बढ़ाएगी, जिससे आसपास के सुखना वन्यजीव अभयारण्य में मौजूद वन्यजीवों को नुकसान होगा।

जी.

एच.

585

टाटा हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड v.आलोक जग्गा और अन्य [अरुण मिश्रा, जे।] ए.

क.

चंडीगढ़ शहर के आदेश और मानदंडों पर 28 मंजिला एक ऊंची इमारत के प्रभाव पर ठीक से विचार नहीं किया गया है।

13. पंजाब राज्य ने टाटा एच. डी. सी. एल. द्वारा स्थापित मामले का समर्थन किया है, चंडीगढ़ का आदेश विचाराधीन क्षेत्र में लागू नहीं है।सुखना झील के जलग्रहण क्षेत्र के संबंध में भारत का सर्वेक्षण मानचित्र निर्णायक नहीं है क्योंकि आपत्तियों पर सुनवाई होनी बाकी है।एस. ई. आई. ए. ए. ने आवेदन पर सही विचार किया क्योंकि परियोजना की उत्तरी सीमा से सुखना वन्यजीव अभयारण्य की निकटतम दूरी 123 मीटर है।, एम. ओ. ई. एफ. के दिनांकित 02.12.2009 कार्यालय ज्ञापन के अनुसार। टाटा एच. डी. सी. एल. को साइट पर कोई भी काम शुरू करने से पहले राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति से मंजूरी लेनी होती है।

ग

14. केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि यह क्षेत्र सुखना झील के जलग्रहण क्षेत्र और कैपिटल परिसर के विरासत क्षेत्र में आता है, इस परियोजना का सुखना झील और चंडीगढ़ शहर के परिवेश पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।चंडीगढ़ का उत्तरी भाग, जो सुखना झील का जलग्रहण क्षेत्र भी है, पारिस्थितिक रूप से एक नाजुक क्षेत्र है और इसके बड़े हिस्से में वन क्षेत्र शामिल है जिसे वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है।चंडीगढ़ प्रशासन चंडीगढ़ की विरासत, उसके वन क्षेत्र, वन्यजीव अभयारण्यों को बचाने और सुखना झील को संरक्षित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।चंडीगढ़ के वन संरक्षक ने चंडीगढ़ के मास्टर प्लान में भारतीय योजना आयोग द्वारा दी गई मंजूरी के साथ वन्यजीव गलियारे के रूप में प्रस्तावित क्षेत्र को शामिल करने के लिए चंडीगढ़ के मुख्य वास्तुकार, केंद्र शासित प्रदेश को एक पत्र लिखा है।यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि परियोजना पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र और 10 कि. मी. के भीतर स्थित है।सुखना वन्यजीव अभयारण्य से, इस प्रकार पर्यावरण मंजूरी लेने से पहले राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति से पूर्व मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता थी।उच्च न्यायालय ने सुखना झील और उसके जलग्रहण क्षेत्र की सुरक्षा के लिए आदेश पारित किया है कि चंडीगढ़ के कैपिटल परिसर के उत्तर में किसी भी आवास, वाणिज्यिक या औद्योगिक परियोजना की अनुमति नहीं दी जा सकती है।इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि चंडीगढ़ के उत्तर में किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती है।पर्यावरण मंजूरी अवैध रूप से दी गई है।एस. ई. आई. ए. ए., पंजाब को पर्यावरण मंजूरी देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था क्योंकि विचाराधीन परियोजना 'ए' श्रेणी की है। उच्च न्यायालय ने दिनांक 1 के आदेश में यह भी कहा है कि चंडीगढ़ प्रशासन ने सुखना झील के जलग्रहण क्षेत्र के मानचित्र के रूप में भारतीय सर्वेक्षण मानचित्र को अपनाया था।यह आदेश आम जनता को व्यापक प्रचार देने के लिए पारित किया गया था कि कोई निर्माण नहीं है।

डी.

ई.

च

जी.

एच.

उस क्षेत्र में अनुमति है।भारतीय सर्वेक्षण मानचित्र के संबंध में विवादित निर्णय के पैराग्राफ 60 में निम्नलिखित निष्कर्ष दर्ज किए गए हैं:"60. XXX XXX XXX

(i) सुखना झील के जलग्रहण क्षेत्र की पहचान और सीमांकन करने वाला भारतीय सर्वेक्षण मानचित्र दिनांकित 21.09.2004 एकमात्र दस्तावेज है जो रिकॉर्ड पर उपलब्ध है।मान लीजिए कि उक्त नक्शा सी. डब्ल्यू. पी. No.7649/2003 (डॉ. बी. सिंह बनाम भारत संघ) में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत तैयार किया गया था।यह भी विवाद में नहीं है कि जलग्रहण क्षेत्र की

सीमाओं का सीमांकन तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा एक सर्वेक्षण करने और पंजाब राज्य, हरियाणा राज्य और यू. टी. चंडीगढ़ के साथ उचित परामर्श के बाद किया गया था।"15. उच्च न्यायालय ने टाटा एच. डी. सी. एल. के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारियों की एक टीम द्वारा आई. डी. 1 पर की गई संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट का भी उल्लेख किया है। निरीक्षण दल की टिप्पणियों को नीचे निकाला गया हैः

ग

डी.

“1. परियोजना स्थल की सीमा से निकटतम दूरी को यू. टी. प्रशासन चंडीगढ़ के वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा दो बिंदुओं पर मापने वाले टेप का उपयोग करके मापा गया थाःआई. परियोजना की उत्तरी सीमा से सुखना वन्यजीव अभयारण्य की निकटतम दूरी 123 मीटर है।

ई.

ii.सुखना वन्यजीव अभयारण्य की पूर्वी ओर परियोजना क्षेत्र की सीमा से दूरी 185 मीटर है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि सुखना झील के जलग्रहण क्षेत्र के एक हिस्से को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26-ए के तहत चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा अधिसूचना No.694-HII (4) 98/4519 दिनांक 6 मार्च 1998 (प्रति संलग्न) के माध्यम से सुखना वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है।

च

टाटा आवास परियोजना नगर पंचायत, नया गाँव, जिला मोहाली, पंजाब राज्य के अधिकार क्षेत्र में आती है, जो सुखना झील (हवाई दूरी) से लगभग 1500 मीटर दूर है।इसके अलावा, यह भारतीय सर्वेक्षण मानचित्र के अनुसार सुखना झील के जलग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत भी आता है।

जी.

2. दल द्वारा यह देखा गया है कि परियोजना अधिकारियों द्वारा स्थल पर कोई निर्माण गतिविधि शुरू नहीं की गई है।अधिग्रहित भूमि क्षेत्र की सीमा का सीमांकन करने के लिए केवल तार की बाड़ लगाई गई है।इसके अलावा, सीमा के विभिन्न स्थानों पर सौर प्रकाश चौकियां खड़ी की गई हैं, और एक स्थल कार्यालय जिसमें तीन ए शामिल हैं।

एच.

587

टाटा हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड v.आलोक जग्गा और अन्य [अरुण मिश्रा, जे।] ए.

कमरों का निर्माण किया गया है।परियोजना प्रस्तावक द्वारा कहा गया है कि इन कार्यालयों का निर्माण डिफेंस सर्विसेज कोऑपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड द्वारा किया गया था, और टाटा हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी ने केवल साइट कार्यालय के रूप में उपयोग करने के लिए उनका नवीनीकरण किया है।साइटों के विभिन्न स्थानों की तस्वीरें यह दिखाने के लिए संलग्न की गई हैं कि साइट पर अभी तक कोई निर्माण गतिविधि नहीं हुई है।

यहाँ यह भी उल्लेख किया गया है कि कंसल क्षेत्र में मौजूदा घर और अन्य निर्मित इमारतें हैं, जो पंजाब के कंसल गाँव का एक हिस्सा हैं और अन्य सहज निर्माण हैं।

निरीक्षण के दौरान, यह सूचित किया गया है कि यू. टी. चंडीगढ़ प्रशासन और पंजाब राज्य सरकार द्वारा आज तक पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों को घोषित करने वाली कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है।

ग

विस्तृत जानकारी और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।"

डी.

उच्च न्यायालय ने अंततः यह निष्कर्ष निकाला है कि परियोजना स्थल सुखना झील के क्षेत्र का हिस्सा पाया गया है।नगर पंचायत द्वारा 05.07.2013 पर टाटा एच. डी. सी. एल. को दी गई अनुमति को रद्द कर दिया गया है।एमओईएफ से सत्यापन की मांग की गई थी क्योंकि सुखना वन्यजीव अभयारण्य प्रस्तावित परियोजना से 123 मीटर की दूरी पर स्थित था।एस. ई. ए. सी., पंजाब ने इस मामले पर 18.04.2013 पर विचार किया।इसके अनुसार, टाटा एच. डी. सी. एल. ने फॉर्म I और फॉर्म आई. ए. में 08.05.2013 पर एक संशोधित आवेदन दायर किया। प्रपत्र I में, परियोजना को "समूह आवास (सीएएमईएलओटी) परियोजना" के रूप में वर्णित किया गया था और यह अनुसूची की मद 8 (बी) के अंतर्गत आता है।भूखंड क्षेत्र को 52.66 एकड़ के रूप में दिखाया गया था, और शुद्ध भूखंड क्षेत्र (सेवाओं के लिए क्षेत्र के समर्पण के बाद) को 46.10 एकड़ के रूप में दिखाया गया था।निर्मित क्षेत्र को 4,63,144.54 वर्ग मीटर के रूप में दिखाया गया था। इस जानकारी के संबंध में कि क्या प्रस्ताव में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत अनुमोदन/मंजूरी शामिल है, जिस रूप में कहा गया थाः

ई.

च

“राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, नई दिल्ली की स्थायी समिति से मंजूरी की आवश्यकता है क्योंकि यह परियोजना 10 किलोमीटर के भीतर है। सुखना वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं से, आज तक सुखना वन्यजीव अभयारण्य के आसपास पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है।"

जी.

16. वन्यजीव अभयारण्य के संबंध में, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियां की हैंः

“183. यह ध्यान देने योग्य है कि भारत सरकार के एम. ओ. ई. एफ. के ई. ए. सी. द्वारा विचार टाटा एच. डी. सी. एल. के पहले के आधार पर किया गया था।

एच.

आवेदन दिनांक 25.03.2009।एस. ई. आई. ए. ए. पंजाब द्वारा अपने जवाबी हलफनामे में लिए गए रुख के आलोक में, यह स्पष्ट है कि टाटा एच. डी. सी. एल. द्वारा संशोधित आवेदन दिनांक 1 जमा करने के बाद कोई ई. आई. ए. रिपोर्ट तैयार नहीं की गई थी। टाटा एच. डी. सी. एल. द्वारा दिनांकित संशोधित आवेदन में पहली बार यह स्वीकार किया गया था कि इसकी प्रस्तावित परियोजना 10 कि. मी. की निषिद्ध दूरी के भीतर स्थित है।सुखना वन्यजीव अभयारण्य से।यह भी स्वीकार किया गया कि प्रस्तावित परियोजना और सुखना झील से हवाई दूरी 123 मीटर (एन) और 185 मीटर (ई) है।"

184. XXX XXX XXX

185. महत्वपूर्ण रूप से, यह एक ऐसा मामला है जहां विचाराधीन परियोजना सुखना वन्यजीव अभयारण्य से 123 मीटर के भीतर स्थित है जैसा कि दिनांक 10.01.2011 की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में दर्ज किया गया है, जो कि टाटा HDCL के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में अधिकारियों की एक टीम द्वारा आयोजित परियोजना स्थल के निरीक्षण के आधार पर पर्यावरण मंत्रालय के निर्देश के अनुपालन में दिनांक 14.10.2010 के पत्र के माध्यम से किया गया है।हालांकि टाटा एच. डी. सी. एल. ने पर्यावरण मंत्रालय को दिनांकित एक पत्र संबोधित किया जिसमें बताया गया है कि परियोजना क्षेत्र सुखना झील की ओर पानी के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा नहीं डालता है, लेकिन परियोजना के उत्तरी हिस्से में 123 मीटर और पूर्वी हिस्से में 183 मीटर के भीतर सुखना वन्यजीव अभयारण्य के स्थान का तथ्य विवादित नहीं था।उक्त स्वीकृत तथ्य के आलोक में, एस. ई. आई. ए. ए., पंजाब ने अपनी दिनांक

आई. डी. 1 की बैठक में एम. ओ. ई. एफ. से स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्णय लिया कि क्या एस. ई. आई. ए. ए., पंजाब आवेदन पर विचार करने के लिए सक्षम है और तदनुसार एम. ओ. ई. एफ. को एक पत्र लिखा।17. वन्यजीव अभयारण्य के आसपास बफर ज़ोन की घोषणा के संबंध में, उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान दिया गया है:"193. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 3 के तहत यू. टी. चंडीगढ़ दिनांक 09.05.2013 के प्रतिनिधित्व के संबंध में, 2-2.75 कि. मी. तक का बफर जोन घोषित करने का अनुरोध।सुखना वन्यजीव अभयारण्य सहित सभी अभयारण्यों के आसपास, यह विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि पंजाब राज्य ने अपने प्रस्ताव दिनांक 18.09.2013 द्वारा बफर क्षेत्र को केवल 100 मीटर तक सीमित रखना उचित समझा। विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा यह भी बताया गया है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार द्वारा अभी तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। इस प्रकार, यह तर्क देने की कोशिश की जाती है कि ए के रूप में कोई क्षेत्र निर्धारित नहीं है।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

589

टाटा हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड v.आलोक जग्गा और अन्य [अरुण मिश्रा, जे।] ए.

सुखना वन्यजीव अभयारण्य के आसपास पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र और न ही आज तक बफर क्षेत्र घोषित किया गया है।

194. XXX XXX XXX

195. यह भी श्री द्वारा इंगित किया गया है। गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा कि वास्तव में पंजाब राज्य ने भारत संघ/एम. ओ. ई. एफ. से बफर ज़ोन को 100 मीटर तक सीमित करने का अनुरोध करते हुए दिनांक 1 पर एक प्रस्ताव भेजा था।केवल पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के संदर्भ में।"

18. उच्च न्यायालय ने नोट किया है कि मामले को सुरक्षित रखने के बाद, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ की ओर से एक संक्षिप्त हलफनामा दायर किया गया है, जिसमें कहा गया है कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ई. पी. अधिनियम की धारा 3 (2) और 3 (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ई. पी. नियमों के नियम 5 (3) के साथ पढ़ा है और 1050 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित किया है, जो 2 किलोमीटर से भिन्न है।2. 75 किमी तक।केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में सुखना वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से, उस अधिसूचना के लिए दिनांक 18.01.2017 जारी किया गया है।उच्च न्यायालय ने अधिसूचना की शर्तों पर भी भरोसा किया है, जो यहाँ नीचे दी गई है:

ग

डी.

"197…….हालाँकि, याचिकाओं में निर्णय सुरक्षित रखने के बाद, यू. टी. चंडीगढ़ की ओर से डब्ल्यू. पी. (सी) (आई. डी. 1) में एक संक्षिप्त हलफनामा दायर किया गया, जिसमें कहा गया कि केंद्र सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 (3) के साथ पढ़ा, 1050 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित किया, जो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में सुखना वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 2 किलोमीटर से 2 किलोमीटर से लेकर 2 किलोमीटर तक है।उक्त अधिसूचना की एक प्रति भी प्रस्तुत की गई है, और उसके पैरा 4 में पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र के भीतर निषिद्ध या विनियमित की जाने वाली गतिविधियों की सूची है।"भाग बी-विनियमित गतिविधियों के तहत उक्त सूची में निर्माण गतिविधियों को शामिल किया गया है।" नियम 4, वर्तमान मामले के लिए जिस हद तक प्रासंगिक है, उसे नीचे निकाला जा सकता है:

ई.

च

जी.

“4. पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र के भीतर निषिद्ध या विनियमित गतिविधियों की सूची।- पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र में सभी गतिविधियों को नियंत्रित किया जाएगा।

एच.

590

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 13 एस सी आर।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा और नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट तरीके से विनियमित किया जाएगा, अर्थात्:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

तालिका

A. निषिद्ध गतिविधियाँ

B. विनियमित गतिविधियाँ

12. निर्माण गतिविधियाँः

संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 0.5 किलोमीटर (जोन-1) के भीतर या पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र की सीमा तक, जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगीः

ग

बशर्ते कि स्थानीय लोगों को पैराग्राफ 3 के उप-पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध गतिविधियों सहित अपने आवासीय उपयोग के लिए अपनी भूमि में निर्माण करने की अनुमति दी जाएगी।

डी.

(क) क्षेत्र-1 में 0 किलोमीटर की दूरी तक सभी प्रकार की नई इमारतों और घरों का निर्माण प्रतिबंधित होगा; सुखना वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 0.5 किलोमीटर से 1.25 किलोमीटर तक, कम घनत्व (भूखंड के आकार के आधे से कम) और कम ऊंचाई वाली इमारत (15 फीट तक की ऊंचाई) के निर्माण की अनुमति दी जा सकती है, यदि क्षेत्र की निर्धारित भूमि उपयोग योजना के तहत अनुमति दी जाए; किसी भी निर्माण को क्षेत्र में लागू विकास विनियमन का पालन करना होगा और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र प्रबंधन योजना के अनुसार विनियमित किया जाएगा; 125 किलोमीटर से आगे नई इमारतों और घरों का निर्माण मौजूदा चंडीगढ़ प्रशासन भवन उपनियमों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के वास्तुकला नियंत्रण/क्षेत्र विनियमन के अनुसार विनियमित किया जाएगा।पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र के क्षेत्र-1 में तहखाने के निर्माण की अनुमति नहीं होगी, हालांकि, क्षेत्र-1 में भवन के पुनर्निर्माण/मरम्मत की अनुमति उपरोक्त प्रतिबंधों के अधीन होगी, अर्थात कम घनत्व (भू-आवरण भूखंड के आकार के आधे से कम) और कम ऊंचाई वाली इमारत (ऊंचाई 15 फीट तक) का निर्माण।

ई.

च

जी.

(ख) प्रदूषण पैदा न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित निर्माण गतिविधि को विनियमित किया जाएगा और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हो, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति के साथ कम से कम रखा जाएगा।

एच.

591

टाटा हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड v.आलोक जग्गा और अन्य [अरुण मिश्रा, जे।] ए.

क.

(ग) नागरिक सुविधाओं के आगे के निर्माण और संवर्धन को क्षेत्रीय मास्टर प्लान के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

198. जैसा कि उपरोक्त अधिसूचना के पैरा 4 से देखा जा सकता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा शासित होने के अलावा पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों को उसमें निर्दिष्ट तरीके से विनियमित किया जाएगा।मान लीजिए, विचाराधीन परियोजना सुखना वन्यजीव अभयारण्य से 123 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसलिए, प्रस्तावित परियोजना के निर्माण के लिए न केवल अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के तहत प्रदान की गई पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता होती है, बल्कि यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18.01.2017 के पैरा 4 के तहत प्रदान किए गए नियमों के अधीन भी है।"

ग

(जोर दिया गया) 19.अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि 0.50 किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।संरक्षित क्षेत्र की सीमा से या पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र की सीमा तक।0. 5 कि. मी. की दूरी तक सभी प्रकार की नई इमारतों और घरों का निर्माण।जोन-I में 0.50 किमी से प्रतिबंधित किया जाएगा।1. 2 कि. मी. तक, कम घनत्व (भू-आवरण भूखंड के आकार के आधे से कम) और लगभग 15 फीट की कम ऊंचाई वाली इमारत के निर्माण की अनुमति दी जा सकती है।

डी.

ई.

20. वन्यजीव अभयारण्य से दूरी के बारे में उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए उपरोक्त निष्कर्षों को देखते हुए, हमने इस मुद्दे पर पक्षों के विद्वान वकील को विस्तार से सुना है।सुखना वन्यजीव अभयारण्य से 123 मीटर की छोटी दूरी के भीतर आवास गतिविधियों की अनुमति है या नहीं, ऐसी परियोजना को आने की अनुमति दी जा सकती है।

च

21. यह विवाद में नहीं है कि सुखना वन्यजीव अभयारण्य से 100 मीटर के भीतर बफर ज़ोन रखने के लिए पंजाब सरकार द्वारा पर्यावरण मंत्रालय को भेजे गए प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया था और कम से कम 1 किलोमीटर के बफर ज़ोन के प्रस्ताव को फिर से प्रस्तुत करने का निर्देश जारी किया गया था।

जी.

22. गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ, (2011) 15 एस. सी. सी. 791 में,

वन्यजीव अभयारण्य और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र के संरक्षण के उद्देश्य से आदेश निम्नलिखित प्रभाव से पारित किया गया हैः

एच.

592

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 13 एस सी आर।

“1. दिनांकित 16-10-2006 आदेश दिनांकित 27-5-2005 के एक पत्र को संदर्भित करता है, जिसे पर्यावरण और वन मंत्रालय (एम. ओ. ई. एफ.) द्वारा सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य वन्यजीव संरक्षकों को संबोधित किया गया था, जिसमें उन्हें उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान के लिए उपाय शुरू करने और जल्द से जल्द विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी।उस तारीख को पारित आदेश यह था कि एमओईएफ एक हलफनामा दायर करेगा जिसमें कहा गया है कि क्या आईडी1 के पत्र के अनुसार प्राप्त प्रस्तावों को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति को भेजा गया है या नहीं।यह भी निर्देश दिया गया कि ऐसे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश जिन्होंने दिनांकित 27-5-2005 पत्र का जवाब नहीं दिया है, वे मंत्रालय द्वारा उन्हें इस न्यायालय के निर्देशों के संचार के चार सप्ताह के भीतर आवश्यक कार्य करेंगे।

ग

2. ऐसा लगता है कि 27-5-2005 दिनांकित पत्र के बावजूद और मंत्रालय द्वारा अनुस्मारक जारी करने और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के ध्यान में इस न्यायालय के 16-10-2006 दिनांकित आदेशों को लाने के बावजूद, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने कोई जवाब नहीं दिया है।हालाँकि, हमें बताया गया है कि अकेले गोवा राज्य ने प्रस्ताव भेजा है, लेकिन वह भी दिनांकित 27-5-2005 पत्र में जो मांगा गया था, उसके पूर्ण अनुरूप नहीं प्रतीत होता है।

डी.

3. 30-1-2006 पर पहले पारित आदेश उस निर्णय को संदर्भित करता है जो 21-1-2002 पर राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की सीमाओं के 10 किमी के भीतर के क्षेत्रों को पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित करने के लिए लिया गया था।27-5-2005 दिनांकित पत्र 21-1-2002 के निर्णय से अलग है।वर्तमान में, इस मामले में, हम इस प्रस्थान की शुद्धता पर विचार नहीं कर रहे हैं।एक अन्य मामले में इसकी अलग से जांच की जा रही है।चाहे जो भी हो, यह स्पष्ट है कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने रियो घोषणा, 1992 के बाद पर्यावरण की रक्षा के लिए बनाए गए अधिकांश कानूनों को उतना महत्व नहीं दिया है जितना दिया जाना आवश्यक है।

ई.

च

4. मंत्रालय को सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अपने दिनांकित 27-5-2005 पत्र का जवाब देने का अंतिम अवसर देने का निर्देश दिया गया है।केंद्र सरकार को जो पहले ही भेजा जा चुका है, उसके अलावा गोवा राज्य को भी उचित प्रस्ताव देने की अनुमति है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए पत्र से यह स्पष्ट हो जाएगा कि यदि मंत्रालय से पत्र प्राप्त होने के चार सप्ताह के भीतर भी प्रस्ताव नहीं भेजे जाते हैं, तो इस न्यायालय को निम्नलिखित पर विचार करना पड़ सकता है -

जी.

एच.

593

टाटा हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड v.आलोक जग्गा और अन्य [अरुण मिश्रा, जे।] ए.

वन, वन्यजीव और पर्यावरण के संरक्षण और एहतियाती सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों की सीमाओं के 10 किलोमीटर के भीतर के क्षेत्रों को पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में लागू करने के लिए आदेश पारित करना।यदि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अब प्रतिक्रिया देने में विफल रहते हैं, तो वे अपने जोखिम और जोखिम पर ऐसा करेंगे।

5. एमओईएफ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 5-बी और 5-सी (2) के तहत राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति को भी संदर्भित करेगा, ऐसे मामले जहां पर्यावरण मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है जहां गतिविधियाँ 10 किलोमीटर क्षेत्र के भीतर हैं।6. आठ सप्ताह के बाद मामले को सूचीबद्ध करें।"

ग

(जोर दिया गया) 23।पंजाब राज्य पर यह दायित्व था कि वह आवश्यकतानुसार एम. ओ. ई. एफ. को एक प्रस्ताव भेजे, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उसने एम. एल. ए. से संबंधित बहुमूल्य परियोजना शामिल होने के कारण ऐसा करने का विकल्प नहीं चुना है, और एम. ओ. ई. एफ. ने बफर ज़ोन को 100 मीटर तक रखने के उसके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है।प्रतिवादी पक्ष की ओर से यह भी बताया गया है कि नया गाँव पंजाब राज्य में ग्रेटर मोहाली क्षेत्र का हिस्सा है।वैधानिक, ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण, पैराग्राफ 14.3 में ग्रेटर मोहाली क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना।1, यह उल्लेख किया गया है कि मौजूदा वन यानी सुखना वन्यजीव अभयारण्य से 5 किलोमीटर की बफर दूरी के भीतर कोई विकास संभव नहीं है।इस प्रकार, शिवालिक के अलावा ग्रेटर मोहाली क्षेत्र में वनों के कई क्षेत्र फैले हुए हैं।इन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए और अनुशंसित बफर ज़ोन को शहरी विकास से संरक्षित किया जाना चाहिए।

डी.

ई.

च

24. यह भी स्पष्ट है कि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 2-2.75 कि. मी. क्षेत्र को पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में आदेश दिया गया है और सुखना वन्यजीव अभयारण्य के चंडीगढ़ की ओर आस-पास के क्षेत्र के बारे में अधिसूचना दिनांक 18.1.2017 जारी की गई है।

25. पृथ्वी और समग्र रूप से मानव सभ्यता के सामने सबसे शक्तिशाली खतरा जिसका आज सामना करना पड़ रहा है, वह है पर्यावरणीय क्षरण और वन्यजीव क्षरण।वनस्पतियों और जीवों की रक्षा करने की आवश्यकता है जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का एक बड़ा हिस्सा हैं।हमारे प्राकृतिक परिवेश को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की कीमत पर आने वाला विकास और शहरीकरण बदले में प्रभाव डालेगा और मानव तबाही का कारण बनेगा जैसा कि उत्तराखंड में 2013 की बाढ़ और 2018 में देखा गया था।

जी.

एच.

केरल।जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक घटनाओं के समय को बाधित करके वन्यजीवों को प्रभावित कर रहा है।गर्म तापमान के साथ, फूल वाले पौधे वर्ष की शुरुआत में खिल रहे हैं और प्रवासी पक्षी वसंत ऋतु की शुरुआत में अपने सर्दियों के मैदान से लौट रहे हैं।* भारत में वन्यजीव संरक्षण का एक लंबा इतिहास है, जो औपनिवेशिक काल से है जब यह केवल लक्षित प्रजातियों के लिए बहुत प्रतिबंधात्मक था और वह भी एक परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र में।फिर, राष्ट्रीय स्तर पर वन्यजीव बोर्ड के गठन और 1972 में वन्यजीव अधिनियम के अधिनियमन ने स्वतंत्रता के बाद के भारत में वर्तमान "वन्यजीव संरक्षण" युग की नींव रखी।1970 के दशक में प्रोजेक्ट टाइगर और 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट-दोनों प्रमुख प्रजातियों के साथ-ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया।भारत तब आवास, प्रजातियों और पर्यावरण से संबंधित सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संधियों का भी सदस्य बन गया जैसे कि रामसर कन्वेंशन, 1971; कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एन्डेन्जर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फॉना एंड फ्लोरा, 1973; कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, 1979; कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, 1992।**

ग

26. मनुष्य के साथ-साथ वन्यजीव भी अपने अस्तित्व के लिए पूरी तरह से पर्यावरण पर निर्भर हैं।मनुष्य पूरी तरह से पर्यावरण पर निर्भर है।मनुष्य की तरह, वन्य जीवन भी अपने अस्तित्व के लिए पर्यावरण पर निर्भर है और पर्यावरण से भी प्रभावित होता है।मनुष्य और पशु के बीच के संबंध को खाद्य-श्रृंखला और खाद्य-जाल से समझा जा सकता है।वन्यजीव कई कारणों से प्रभावित होते हैं जैसे

कि जनसंख्या, वनों की कटाई, शहरीकरण, बड़ी संख्या में उद्योग, रासायनिक अपशिष्ट, अनियोजित भूमि उपयोग नीतियाँ और प्राकृतिक संसाधनों का लापरवाह उपयोग आदि।

डी.

ई.

27. राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में यह प्रावधान है कि पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार, वन और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए सरकार को विधिवत आदेश दिया गया है।उन सिद्धांतों को विभिन्न अधिनियमों जैसे वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, ई. पी. अधिनियम आदि में वैधानिक अभिव्यक्ति मिली है, जिन्हें इस न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में लागू किया गया है।संवैधानिक और वैधानिक कर्तव्यों के प्रति राज्य की निष्क्रियता की अनुमति नहीं दी जा सकती है।न्यायालय को जनादेश को पूरा करने के लिए उचित निर्देश जारी करने होते हैं।अनुच्छेद 51 (ए) पर्यावरण, वन्यजीव आदि की रक्षा और संरक्षण के लिए मौलिक कर्तव्य प्रदान करता है।

च

जी.

* स्रोतःHTTPS://डब्ल्यू. डब्ल्यू.एन. डब्ल्यू. एफ.संगठन/शैक्षिक-संसाधन/वन्यजीव-मार्गदर्शक/समझ-संरक्षण।

** स्रोतःपृथ्वी तक, भारत में वन्यजीव संरक्षणःक्या हम वास्तव में गंभीर हैं?ए. के. घोष द्वारा दिनांकित लेख 19.9.2018।

एच.

595

टाटा हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड v.आलोक जग्गा और अन्य [अरुण मिश्रा, जे।] ए.

क.

28. भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 (ए) और 51 (ए) (जी) निम्नानुसार हैंः

“ 48A. पर्यावरण का संरक्षण और सुधार और वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा।- राज्य करेगा

पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों और वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करना।

51A. मौलिक कर्तव्य।- यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा -

(छ) वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति करुणा रखना।

ग

29. पशु और पर्यावरण कानूनी रक्षा कोष बनाम संघ

भारत सरकार, (1997) 3 एस. सी. सी. 549, वन्यजीव, वन, बाघ अभयारण्य, नाजुक पारिस्थितिकी की रक्षा के लिए न्यायालय ने सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत से इस प्रकार निपटाः“11. इसलिए, जहां वन क्षेत्र की नाजुक पारिस्थितिकी को संरक्षित करने और बाघ अभयारण्य की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए, वहीं पहले इस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों के शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के अधिकार पर भी उचित विचार किया जाना चाहिए।निस्संदेह, यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए कि जब आदिवासियों को फिर से बसाया जाए, तो वे अपनी आजीविका कमाने की स्थिति में हों।वर्तमान मामले में यह कहीं अधिक वांछनीय होता, अगर आदिवासियों को राष्ट्रीय उद्यान के बाहर अन्य उपयुक्त मछली पकड़ने के क्षेत्र प्रदान किए जाते या उन्हें खेती के लिए भूमि दी जाती।टोटलदोह बांध जहाँ मछली पकड़ने की अनुमति है, राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के केंद्र में है।जलाशय के अन्य हिस्से हैं जो राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं तक फैले हुए हैं।हम यह कहने की स्थिति में नहीं हैं कि क्या जलाशय के ये बाहरी हिस्से सुलभ हैं या क्या वे मछली पकड़ने के लिए उपयुक्त हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य या याचिकाकर्ता द्वारा हमारे सामने कोई सामग्री नहीं

रखी गई है।हालाँकि, ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश राज्य द्वारा इन मछली पकड़ने की अनुमति पर शर्तें लगाकर नुकसान को रोकने के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं।जो अनुमतियाँ दी गई हैं, वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैं:

डी.

ई.

च

जी.

(1) चिन्हित परिवारों को फोटो पहचान पत्र दिए जाएंगे, जिसके आधार पर केवल मछली पकड़ने और परिवहन की अनुमति होगी।

एच.

(2) बरसात के मौसम (जुलाई से अक्टूबर) के दौरान मछली पकड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।

(3) शेष वर्ष के दौरान, दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक पानी में प्रवेश की अनुमति होगी और सूर्यास्त से पहले मछली के परिवहन की अनुमति होगी।

(4) फोटो पहचान पत्र धारकों को राष्ट्रीय उद्यान या जलाशय में द्वीपों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी और न ही उन्हें रात में रुकने की अनुमति होगी।

(5) टोटलडोह जलाशय से केवल टोटलडोह-थुईपानी रोड पर मछली परिवहन की अनुमति होगी।

ग

15. चूंकि मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के संबंध में धारा 35 (1) के तहत अधिसूचित सभी दावों का ध्यान रखा गया है, इसलिए यह आवश्यक है कि राज्य सरकार द्वारा धारा 35 (4) के तहत अंतिम अधिसूचना जल्द से जल्द जारी की जाए।प्रदीप कृष्ण बनाम भारत संघ, (1996) 8 एस. सी. सी. 599 के मामले में, इस न्यायालय ने बताया था कि हमारे देश में कुल वन क्षेत्र कुल भूमि के आदर्श न्यूनतम एक तिहाई से बहुत कम है।इसलिए हम अपने देश में वन क्षेत्र में और कमी नहीं ला सकते।यदि इस सिकुड़न का एक कारण अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यान में और उसके आसपास रहने वाले ग्रामीणों और आदिवासियों का प्रवेश है, तो इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि उन क्षेत्रों में पर्यावरण, वनस्पतियों और जीवों और वन्यजीवों को किसी भी विनाश या क्षति को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए।इसलिए राज्य सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह अनुच्छेद 51-ए (जी) में निहित कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 48-ए द्वारा निर्धारित मामलों में तात्कालिकता की भावना के साथ कार्य करे।इसलिए हम निर्देश देते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य की राज्य सरकार मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत आने वाले पेंच राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र के संबंध में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 35 (4) के तहत अंतिम अधिसूचना जल्द से जल्द जारी करेगी।"

डी.

ई.

च

जी.

30. इसके द्वारा सार्वजनिक न्यास के सिद्धांत पर विचार किया गया है।

एम. सी. मेहता बनाम में न्यायालय। कमल नाथ और अन्य, (1997) 1 एससीसी 388।

इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं:“24. प्राचीन रोमन साम्राज्य ने एक कानूनी सिद्धांत विकसित किया जिसे "सार्वजनिक न्यास के सिद्धांत" के रूप में जाना जाता है।” इसकी स्थापना इन विचारों पर की गई थी कि कुछ सामान्य गुण जैसे कि नदियाँ, समुद्र तट, वन ए

एच.

597

टाटा हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड v.आलोक जग्गा और अन्य [अरुण मिश्रा, जे।] ए.

और आम जनता के स्वतंत्र और निर्बाध उपयोग के लिए सरकार द्वारा न्यास में हवा आयोजित की गई थी।"पर्यावरण" के बारे में हमारी समकालीन चिंता इस कानूनी सिद्धांत के साथ बहुत करीबी वैचारिक संबंध रखती है।रोमन कानून के तहत ये संसाधन या तो किसी के स्वामित्व में नहीं थे या सभी के स्वामित्व में थे।हालाँकि, अंग्रेजी सामान्य कानून के तहत, संप्रभु इन संसाधनों का मालिक हो सकता था, लेकिन स्वामित्व प्रकृति में सीमित था, क्राउन इन संपत्तियों को निजी मालिकों को नहीं दे सकता था यदि प्रभाव नौवहन या मछली पकड़ने में सार्वजनिक हितों में हस्तक्षेप करना था।जो संसाधन इन उपयोगों के लिए उपयुक्त थे, उन्हें जनता के लाभ के लिए क्राउन द्वारा विश्वास में रखा गया था।जोसेफ एल. सैक्स, कानून के प्रोफेसर, मिशिगन विश्वविद्यालय-आधुनिक सार्वजनिक ट्रस्ट सिद्धांत के प्रस्तावक-एक विद्वान लेख में

ग

प्राकृतिक संसाधन कानून:प्रभावी न्यायिक हस्तक्षेप ",

मिशिगन लॉ रिव्यू, वॉल्यूम। 68, भाग 1 पी।473, सार्वजनिक न्यास सिद्धांत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि निम्नानुसार दी गई है:“आधुनिक सार्वजनिक न्यास कानून का स्रोत एक ऐसी अवधारणा में पाया जाता है जिसने रोमन और अंग्रेजी कानून में बहुत ध्यान आकर्षित किया-नदियों, समुद्र और समुद्र तट में संपत्ति अधिकारों की प्रकृति।उस इतिहास पर कानूनी साहित्य में काफी ध्यान दिया गया है, यहाँ विस्तार से दोहराने की आवश्यकता नहीं है।लेकिन दो बिंदुओं पर जोर दिया जाना चाहिए।सबसे पहले, नौवहन और मछली पकड़ने जैसे कुछ हितों को जनता के लाभ के लिए संरक्षित करने की मांग की गई थी; तदनुसार, उन उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली संपत्ति को सामान्य सार्वजनिक संपत्ति से अलग किया गया था जिसे संप्रभु नियमित रूप से निजी मालिकों को दे सकता था।दूसरा, जबकि यह समझा गया था कि कुछ सामान्य संपत्तियों में-जैसे कि समुद्र तट, राजमार्ग और बहते पानी-'निरंतर उपयोग जनता के लिए समर्पित था', यह कभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि जनता को उन हितों के उल्लंघन को रोकने का कोई लागू करने योग्य अधिकार था या नहीं।हालाँकि राज्य ने स्पष्ट रूप से सार्वजनिक उपयोगों की रक्षा की, लेकिन इस बात का कोई सबूत उपलब्ध नहीं है कि एक अवज्ञाकारी सरकार के खिलाफ सार्वजनिक अधिकारों का कानूनी रूप से दावा किया जा सकता है।"

डी.

ई.

च

जी.

25. सार्वजनिक न्यास सिद्धांत मुख्य रूप से इस सिद्धांत पर आधारित है कि वायु, समुद्र, जल और वन जैसे कुछ संसाधनों का समग्र रूप से लोगों के लिए इतना बड़ा महत्व है कि उन्हें निजी स्वामित्व का विषय बनाना पूरी तरह से अनुचित होगा।उक्त संसाधन प्रकृति का उपहार होने के कारण, उन्हें स्वतंत्र रूप से बनाया जाना चाहिए

एच.

598

जीवन की स्थिति की परवाह किए बिना सभी के लिए उपलब्ध है।यह सिद्धांत सरकार को निजी स्वामित्व या वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए उनके उपयोग की अनुमति देने के बजाय आम जनता के आनंद के लिए संसाधनों की रक्षा करने का आदेश देता है।प्रोफेसर सैक्स के अनुसार, सार्वजनिक न्यास सिद्धांत सरकारी प्राधिकरण पर निम्नलिखित प्रतिबंध लगाता हैः

33. इसमें कोई संदेह नहीं है कि अंग्रेजी सामान्य कानून के तहत सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत केवल कुछ पारंपरिक उपयोगों जैसे कि नौवहन, वाणिज्य और मछली पकड़ने तक फैला हुआ है।लेकिन हाल के मामलों में अमेरिकी न्यायालयों ने सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत की अवधारणा का विस्तार किया है।मोनो लेक मामला, 33 कैल 3 डी 419 में कैलिफोर्निया के सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ स्पष्ट रूप से सभी पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण भूमि की रक्षा करने में न्यायिक चिंता को दर्शाती हैं, उदाहरण के लिए, ताजे पानी, आर्द्रभूमि या तटवर्ती वन।मोनो लेक मामलामे न्यायालयक एहि प्रभावक टिप्पणी जे पारिस्थितिक मूल्यसभक संरक्षण सार्वजनिक विश्वासक उद्देश्य सभमे सम्मिलित अछि, एहि तर्ककेँ जन्म दऽ सकैत अछि जे पारिस्थितिकी आ पर्यावरण संरक्षण ई निर्धारित करबाक लेल एकटा प्रासंगिक कारक अछि जे कोन जमीन, जल अथवा वायु लोक विश्वास सिद्धान्त द्वारा सुरक्षित अछि। संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायालय अंततः इस तर्क को अपनाना शुरू कर रहे हैं और नए प्रकार की भूमि और जल को शामिल करने के लिए सार्वजनिक विश्वास का विस्तार कर रहे हैं।फिलिप्स पेट्रोलियम कंपनी बनाममिसिसिपी, 108 एससीटी 791 (1988), संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने गैर-नौगम्य ज्वारीय क्षेत्रों में अंतर्निहित भूमि के लिए मिसिसिपी के सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत के विस्तार को बरकरार रखा।बहुमत निर्णय ने पारिस्थितिक अवधारणाओं को अपनाया ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि किन भूमि को ज्वारीय भूमि माना जा सकता है।फिलिप्स पेट्रोलियम मामला महत्वपूर्ण है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत का विस्तार किया ताकि वाणिज्यिक विचारों पर नहीं बल्कि पारिस्थितिक अवधारणाओं पर निहितार्थ की पहचान की जा सके।हम कोई कारण नहीं देखते हैं कि हमारे प्राकृतिक संसाधनों में काम करने वाले सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को शामिल करने के लिए सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत का विस्तार क्यों नहीं किया जाना चाहिए।"

ग

डी.

ई.

च

31. वेल्लोर नागरिक कल्याण मंच बनाम भारत संघ, (1996)

5 एस. सी. सी. 647, न्यायालय ने सतत विकास की अवधारणा पर इस प्रकार विचार कियाः

जी.

“10. यह पारंपरिक अवधारणा कि विकास और पारिस्थितिकी एक-दूसरे के विरोधी हैं, अब स्वीकार्य नहीं है।“सतत विकास "इसका उत्तर है।अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, "सतत विकास" एक अवधारणा के रूप में ए के लिए जाना जाने लगा।

एच.

599

टाटा हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड v.आलोक जग्गा और अन्य [अरुण मिश्रा, जे।] ए.

1972 की स्टॉकहोम घोषणा में पहली बार।इसके बाद, 1987 में पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग द्वारा "हमारा सामान्य भविष्य" नामक अपनी रिपोर्ट में इस अवधारणा को एक निश्चित रूप दिया गया।आयोग की अध्यक्षता नॉर्वे की तत्कालीन प्रधानमंत्री सुश्री जी. एच. ब्रुंडटलैंड ने की थी और इसलिए इस रिपोर्ट को "ब्रुंडटलैंड रिपोर्ट" के रूप में जाना जाता है।1991 में विश्व संरक्षण संघ, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और वर्ल्डवाइड फंड फॉर नेचर ने संयुक्त रूप से "पृथ्वी की देखभाल" नामक एक दस्तावेज़ जारी किया जो टिकाऊ जीवन के लिए एक रणनीति है।अंत में, जून 1992 में रियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन आया जिसमें

इतिहास में अब तक के विश्व नेताओं की सबसे बड़ी सभा देखी गई-जिसमें ग्रह के अस्तित्व के लिए विचार-विमर्श और खाका तैयार किया गया।रियो सम्मेलन की ठोस उपलब्धियों में दो सम्मेलनों पर हस्ताक्षर किए गए, एक जैविक विविधता पर और दूसरा जलवायु परिवर्तन पर।इन समझौतों पर 153 देशों ने हस्ताक्षर किए थे।प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से तीन गैर-बाध्यकारी दस्तावेजों को भी मंजूरी दी, जिनमें वानिकी सिद्धांतों पर एक वक्तव्य, पर्यावरण नीति और विकास पहलों पर सिद्धांतों की घोषणा और गरीबी, जनसंख्या और प्रदूषण जैसे क्षेत्रों में अगली शताब्दी के लिए कार्य कार्यक्रम एजेंडा 21 शामिल हैं।स्टॉकहोम से रियो तक के दो दशकों के दौरान "सतत विकास" को गरीबी उन्मूलन और सहायक पारिस्थितिकी प्रणालियों की वहन क्षमता के भीतर रहते हुए मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक व्यवहार्य अवधारणा के रूप में स्वीकार किया गया है।“ब्रंटलैंड रिपोर्ट द्वारा परिभाषित सतत विकास का अर्थ है "ऐसा विकास जो आने वाली पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है।"हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि पारिस्थितिकी और विकास के बीच एक संतुलनकारी अवधारणा के रूप में "सतत विकास" को प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून के एक हिस्से के रूप में स्वीकार किया गया है, हालांकि इसकी मुख्य विशेषताओं को अंतर्राष्ट्रीय कानून न्यायविदों द्वारा अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

ग

डी.

ई.

च

16. संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान किसी व्यक्ति के ताजी हवा, स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के अधिकार की रक्षा करते हैं, लेकिन अधिकार का स्रोत स्वच्छ पर्यावरण का अविभाज्य सामान्य कानून अधिकार है।इंग्लैंड के कानूनों पर ब्लैकस्टोन की टिप्पणियों से एक पैराग्राफ उद्धृत करना उपयोगी होगा।

जी.

(सर विलियम के इंग्लैंड के कानूनों पर टिप्पणियां

ब्लैकस्टोन) वॉल्यूम। तीसरा, चौथा संस्करण 1876 में प्रकाशित हुआ।अध्याय

एच.

600

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 13 एस सी आर।

XIII, "उपद्रव का" निम्नलिखित शब्दों में इस विषय पर कानून को दर्शाता हैः

“इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति अपने सूअर, या अन्य शोर मचाने वाले जानवरों को रखता है, या दूसरे के घर के पास अपने परिसर में गंदगी जमा होने देता है, तो बदबू उसे परेशान करती है और हवा को अस्वास्थ्यकर बनाती है, यह एक हानिकारक उपद्रव है, क्योंकि यह उसे अपने घर के उपयोग और लाभ से वंचित कर देता है।एक समान चोट है, अगर किसी का पड़ोसी कोई आक्रामक व्यापार स्थापित करता है और करता है; एक चर्मकार के रूप में, एक टैलो-चांडलर, या इसी तरह के; हालाँकि ये वैध और आवश्यक व्यापार हैं, फिर भी उनका उपयोग दूरदराज के स्थानों में किया जाना चाहिए; क्योंकि नियम है, 'सिक यूटेरे तुओ, उट एलियनम नॉन लीडास'; इसलिए यह एक कार्रवाई योग्य उपद्रव है।और इसी तरह के सिद्धांत पर किसी के आस-पास लगातार घंटी बजाना एक उपद्रव हो सकता है।

ग

… अन्य भौतिक वंशावली के संबंध में; दूसरे के घास के मैदान या मिल में जाने वाले पानी को रोकना या मोड़ना एक उपद्रव है; नदी के ऊपरी हिस्से में व्यापार के उपयोग के लिए एक डाई-हाउस या चूने के गड्ढे को खड़ा करके, एक जलमार्ग को दूषित या विषाक्त करना; एक तालाब को प्रदूषित करना, जिससे दूसरा अपने मवेशियों को पानी देने का हकदार है; एक नाली को बाधित करना; या संक्षेप में सामान्य संपत्ति में कोई भी कार्य करना, कि इसके परिणामों में अनिवार्य रूप से अपने पड़ोसी के पूर्वाग्रह की ओर झुकाव होना चाहिए।इंग्लैंड का कानून इतनी बारीकी से सुसमाचार-नैतिकता के उस उत्कृष्ट नियम को लागू करता है, 'दूसरों के साथ वैसा ही करना जैसा हम चाहते हैं कि उन्हें अपने साथ करना चाहिए'।""

डी.

ई.

32. बौद्धिक मंच में, तिरुपति बनाम। ए. पी. राज्य और अन्य,

(2006) 3 एस. सी. सी. 549, सतत विकास के सिद्धांत पर इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया है, जो निम्नानुसार हैः

च

"84. 21 वीं सदी में दुनिया विकास के उस स्तर पर पहुंच गई है जिसकी पहले कभी कल्पना नहीं की गई थी।जबकि आर्थिक विकास का संकट अभी भी बना हुआ है, मुख्य प्रश्न जो अक्सर उत्पन्न होता है और अदालतों से इस पर निर्णय लेने के लिए कहा जाता है, वह यह है कि क्या आर्थिक विकास पर्यावरण संरक्षण की चिंता को खत्म कर सकता है और क्या सतत विकास जो केवल पर्यावरण की रक्षा और मानवता और आने वाली पीढ़ियों के लाभ के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, को आर्थिक विकास या मजबूर करने वाली मानव आवश्यकता की आड़ में नजरअंदाज किया जा सकता है।विकास और विकास प्रक्रिया बिना किसी ए के शब्द हैं।

जी.

एच.

601

टाटा हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड v.आलोक जग्गा और अन्य [अरुण मिश्रा, जे।] ए.

उनके अंतिम परिणामों के सार के रूप में कोई संकेत के बिना।यह अनिवार्य रूप से हमें विकास और विकास की अवधारणा की ओर ले जाता है, जो हमारे साझा भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कायम रहता है।" विकास की खोज में, विकास की स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करना होगा, और उस दिशा में नीतियों को ईमानदारी से तैयार किया जाना चाहिए और ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए।प्रो.वीस कहते हैं, "हालांकि, आर्थिक तनाव के समय में संरक्षण हमेशा पीछे रहता है।"यह अब एक स्वीकृत सामाजिक सिद्धांत है कि सभी मनुष्यों को एक स्वस्थ पर्यावरण का मौलिक अधिकार है, जो उनके कल्याण के अनुरूप है, साथ ही यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य है कि संसाधनों का संरक्षण और संरक्षण इस तरह से किया जाए कि वर्तमान के साथ-साथ आने वाली पीढ़ियां भी उनके बारे में समान रूप से जागरूक हों।"

ग

33. एम. सी. मेहता बनाम कमल नाथ, (2000) 6 एस. सी. सी. 212 में, न्यायालय ने प्रदूषक भुगतान सिद्धांत विकसित किया और कहाः

"8. उपरोक्त कानूनों और उनके तहत बनाए गए नियमों के अलावा, संविधान के अनुच्छेद 48-ए में प्रावधान है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों और वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।अनुच्छेद 51-ए (जी) में निर्धारित प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में से एक वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसमें सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति करुणा रखना है।इन दोनों अनुच्छेदों पर संविधान के अनुच्छेद 21 के आलोक में विचार किया जाना चाहिए, जिसमें प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार उसके जीवन और स्वतंत्रता

से वंचित नहीं किया जाएगा।"जीवन" के लिए आवश्यक बुनियादी पर्यावरण तत्वों, जैसे हवा, पानी और मिट्टी की कोई भी गड़बड़ी संविधान के अनुच्छेद 21 के अर्थ के भीतर "जीवन" के लिए खतरनाक होगी।

डी.

ई.

च

9. संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अधिकारों के प्रवर्तन के मामले में, इस न्यायालय ने उपरोक्त निर्दिष्ट अधिनियमों के प्रावधानों को लागू करने के अलावा, संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों को भी प्रभावी बनाया है और यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि उन अधिकारों का पर्यावरण को बाधित करके उल्लंघन किया जाता है, तो वह न केवल पारिस्थितिक संतुलन की बहाली के लिए, बल्कि उन पीड़ितों के लिए भी हर्जाना दे सकता है जो उस गड़बड़ी के कारण पीड़ित हुए हैं।"जीवन" की रक्षा करने के लिए, "पर्यावरण" की रक्षा करने के लिए और "वायु, जल और मिट्टी" को प्रदूषण से बचाने के लिए, इस न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से उपलब्ध अधिकारों को प्रभावी बनाया है।

जी.

एच.

संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों और व्यक्तियों को समान रूप से।आवासीय क्षेत्रों से खतरनाक और अप्रिय उद्योगों को हटाने का निर्णय, कुछ खतरनाक उद्योगों को बंद करने के निर्देश, बूचड़खानों को बंद करने और उन्हें स्थानांतरित करने के निर्देश, दिल्ली में रिज क्षेत्र की सुरक्षा के लिए जारी किए गए विभिन्न निर्देश, दिल्ली में स्थित उद्योगों को अपशिष्ट उपचार संयंत्र स्थापित करने के निर्देश, चमड़ा कारखानों को निर्देश आदि ऐसे सभी निर्णय हैं जो पर्यावरण की रक्षा करने का प्रयास करते हैं।

10. अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के मामले में, सार्वजनिक कानून क्षेत्र के तहत, न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उन लोगों के खिलाफ हर्जाना दिया है जो या तो उद्योगों को चलाकर पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार हैं या कोई अन्य गतिविधि जो पर्यावरण में प्रदूषण पैदा करने का प्रभाव डालती है।अदालत हर्जाना देते समय "पॉलिटर-भुगतान सिद्धांत" को भी लागू करती है जिसे प्रदूषण और नियंत्रण की लागत के भुगतान के साधन के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है।दूसरे शब्दों में कहें तो गलत काम करने वाला, प्रदूषक, पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए बाध्य है।"

ग

डी.

34. एम. सी. मेहता (बड़खल और सूरजकुंड झील मामले) बनाम

भारत संघ और अन्य, (1997) 3 एस. सी. सी. 715, इस न्यायालय ने कहा था:“6. कुछ बिल्डरों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शांति भूषण ने जोरदार तर्क दिया था कि बड़खल और सूरजकुंड से एक किलोमीटर के दायरे में निर्माण पर प्रतिबंध लगाना मनमाना है।उनके अनुसार, यह तकनीकी कारणों पर आधारित नहीं है।उन्होंने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों का उल्लेख किया है और तर्क दिया है कि निर्माण को अधिकतम 200 से 500 मीटर के भीतर प्रतिबंधित किया जा सकता है जैसा कि भारत सरकार द्वारा तटीय क्षेत्रों में किया गया था।उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि केवल सूरजकुंड और बडखल झीलों के आसपास के क्षेत्रों में निर्माण पर प्रतिबंध भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से प्रभावित है क्योंकि इसे देश की अन्य झीलों तक नहीं बढ़ाया जा रहा है।हम श्री शांति भूषण से सहमत नहीं हैं।पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यप्रणाली और पर्यावरण की स्थिति देश में

समान नहीं हो सकती है।पर्यावरणीय परिवेश में काम करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र की वहन क्षमता को ध्यान में रखते हुए निवारक उपाय किए जाने चाहिए।बड़खल और सूरजकुंड झीलें लोकप्रिय ए हैं।

ई.

च

जी.

एच.

603

टाटा हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड v.आलोक जग्गा और अन्य [अरुण मिश्रा, जे।] ए.

राजधानी दिल्ली के लगभग बगल में पर्यटक रिसॉर्ट्स हैं।हमारे पास राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (एन. ई. ई. आर. आई.) द्वारा इन झीलों के संबंध में दिनांक 20-4-1996 की निरीक्षण रिपोर्ट है, जो झीलों के आसपास के क्षेत्रों के परिवेश, भूवैज्ञानिक विशेषताओं, भूमि उपयोग और मिट्टी के प्रकार और पुरातात्विक महत्व को दर्शाती है।रिपोर्ट के अनुसार, सूरजकुंड झील बारिश और प्राकृतिक झरनों से पानी लेती है।बड़खल झील एक मिट्टी के बांध के निर्माण के कारण बनी एक झील है।इन झीलों के जलग्रहण क्षेत्रों को रिपोर्ट के साथ संलग्न एक आकृति में दिखाया गया है।भूमि उपयोग और मिट्टी के प्रकार, जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है, से पता चलता है कि बडखल झील और सूरजकुंड मानसून द्वारा पोषित जल निकाय हैं।आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों का प्राकृतिक जल निकासी पैटर्न बरसात के मौसम में इन जल निकायों को पानी देता है।इन पर्यटक रिसॉर्ट्स के आसपास बड़े पैमाने पर निर्माण वर्षा जल नालियों को बाधित कर सकता है, जो बदले में जल स्तर के साथ-साथ इन जल निकायों की जल गुणवत्ता को भी बुरी तरह प्रभावित कर सकता है।यह भूजल के स्रोत जलभृतों में भी गड़बड़ी पैदा कर सकता है।क्षेत्र का जलविज्ञान भी बाधित हो सकता है।"

ग

डी.

35. इंडियन काउंसिल फॉर एनविरो-लीगल एक्शन बनाम यूनियन ऑफ

भारत और अन्य, (1996) 5 एस. सी. सी. 281, इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं:

ई.

“41. तेजी से हो रहे औद्योगीकरण के साथ, पारिस्थितिक संतुलन के रखरखाव के लिए खतरा बढ़ रहा है।आम जनता पर्यावरण की रक्षा की आवश्यकता के प्रति जागरूक हो रही है।भले ही पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कानून पारित किए गए हैं, लेकिन उन्हें लागू करने में देरी हुई है।सरकारी अधिकारियों द्वारा उक्त अधिनियमों के प्रवर्तन के साथ कोई चिंता नहीं दिखाने और पर्यावरण की कीमत पर व्यक्तिगत लाभ के लिए हो रहे विकास और कानून के अनिवार्य प्रावधानों की अवहेलना के साथ, कुछ जन-उत्साही व्यक्ति जनहित याचिकाएं शुरू कर रहे हैं।पर्यावरण क्षरण को रोकने के लिए न्यायालयों द्वारा अधिकार क्षेत्र के प्रयोग और इस तरह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने से संबंधित कानूनी स्थिति अब इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा अच्छी तरह से तय की गई है।पर्यावरण संबंधी मुद्दों से निपटने के दौरान न्यायालय का प्राथमिक प्रयास यह देखना है कि प्रवर्तन एजेंसियां, चाहे वह राज्य हो या कोई अन्य प्राधिकरण, पर्यावरण संबंधी मुद्दों को लागू करने के लिए प्रभावी कदम उठाएं।

च

जी.

एच.

कानून हैं।अदालतें, एक तरह से, लोगों के मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करती हैं, लेकिन कई तकनीकी मामलों के संबंध में, अदालतें पूरी तरह से सुसज्जित नहीं हो सकती हैं।बलपूर्वक, इसे रिपोर्ट और सिफारिशों के लिए बाहरी एजेंसियों पर भरोसा करना पड़ता है, जिन पर समय-समय पर आदेश पारित किए गए हैं।भले ही कानून के दिन-प्रतिदिन के प्रवर्तन को देखना न्यायालय का कार्य नहीं है, क्योंकि यह कार्यपालिका का कार्य है, लेकिन प्रवर्तन एजेंसियों के काम न करने के कारण, अदालतों को आवश्यकता के अनुसार कानून को लागू करने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश देने वाले आदेश पारित करने पड़े हैं।"

36. मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, वन्यजीव अभयारण्य से विचाराधीन परियोजना के उत्तरी हिस्से से 123 मीटर और पूर्वी हिस्से से 183 मीटर की दूरी को देखते हुए, हमारी राय में, ऐसी किसी भी परियोजना को विचाराधीन क्षेत्र में आने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।पंजाब राज्य को सार्वजनिक न्यास के सिद्धांत के आधार पर कार्य करने की आवश्यकता थी।यह ऐसा करने में विफल रहा है।परियोजना की शुरुआत से ही संकेत मिलता है कि पंजाब राज्य सार्वजनिक न्यास के सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए काम नहीं कर रहा था क्योंकि 95 विधायक फ्लैटों के प्राप्तकर्ता होने वाले थे।यह स्पष्ट है कि सरकार वन्यजीवों के आसपास के पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र की रक्षा क्यों नहीं कर पाई है और उसने विचाराधीन क्षेत्र में 92 मीटर तक की ऊंची इमारतों की स्थापना की अनुमति दी है, जिसकी बिल्कुल भी अनुमति नहीं है।

ग

डी.

ई.

37. नतीजतन, हमारा मानना है कि ऐसी परियोजनाओं को वन्यजीव अभयारण्य से इतनी कम दूरी के भीतर आने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।मोरेसो, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के किनारे सुखना वन्यजीव अभयारण्य के संबंध में जारी अधिसूचना को देखते हुए और इस तथ्य पर भी विचार करते हुए कि पंजाब सरकार द्वारा बफर ज़ोन को 100 मीटर तक सीमित करने के प्रस्ताव को एमओईएफ द्वारा उचित रूप से स्वीकार नहीं किया गया है, क्योंकि पंजाब सरकार के साथ-साथ एमओईएफ भी इस मामले में अंतिम मध्यस्थ नहीं हो सकते हैं।न्यायालय को ऐसे परिदृश्य में अपना कर्तव्य निभाना होगा जब अधिकारी वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र की रक्षा करने में विफल रहे हैं।परियोजना से संबंधित मंजूरी प्राप्त करने की पूरी कवायद को रद्द कर दिया जाता है। हमें खेद है कि इस मामले में ऐसा परिदृश्य सामने आया है और इसमें पंजाब विधानसभा के बड़ी संख्या में विधायक शामिल हैं।इस पूरी कवायद से अधिकारियों सहित सरकार की ओर से मनमानेपन की गंध आती है।

च

जी.

इस प्रकार, हम ऊपर उल्लिखित निर्देशों के साथ अपीलों को खारिज करते हैं।

एच.

निधि जैन

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।